यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी के माह 03.2012 से 04.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 28.05.2018 से 31.05.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन कैरियर काउन्सलिंग, रोजगार मेले, स्वत: रोजगार, पंजीयन एवं विभागीय योजनायों के क्रियान्वयन हेतु तहसील हल्द्वानी लालकुआ तथा रामनगर सेवयोजन कार्यालय आदि भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे आते है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	शून्य	शून्य	56.12	48.78	10.30	9.57	-	8.07
2	2016-17	शून्य	शून्य	60.38	42.03	13.51	12.19	-	19.66
3	2017-18	शून्य	शून्य	57.02	55.99	18.84	16.61	-	3.26

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2016-17	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2017-18	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ‘C’ श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, सेवायोजन, उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

c). उप निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

d). क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी

e). नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 04.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03.2014 03.2015 एवं 03.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर 1:- विभागीय उदासीनता के कारण कर्मचारी के अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि रु 2,23,636/- की गणना PRAN खाते मे नही किया जाना।

उत्तराखण्ड मे राज्य कर्मचारियो के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/xxvii/अ.पे.यो./2005 के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत वेतन, महगाई वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अंशदान एवं निवेश से होने वाली आय को एक खाते मे जमा किया जाएगा, जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। चूँकि नए भर्तिशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि मे अंशदान करने मे सक्षम नही होंगे अतः वे पेंशन टियर-1 खाते के अतिरिक्त एक स्वेच्छिक टियर-2 खाता भी रख सकते है, परंतु सेवायोजक टियर-2 खाते मे कोई अंशदान नही करेगा। टियर -2 खाते मे आस्तियों का निवेश/ प्रबंधन ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जो पेंशन टियर-1 खाते के लिए है तथापि कर्मचारी अपने टियर -2 खाते के धन के सम्पूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी क्रम मे शासनादेश संख्या 643/XXVII(7)/अ.पे॰यो॰/2010, दिनांक 11.08.2010 मे स्पष्ट रूप से कोषागार को निर्देशित किया गया कि कार्मिको को CRA से PRAN आवंटित होने के बाद ही अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जाएगी तथा बिन्दु संख्या 04 मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि

<u>(4)— अधिसूचना संख्या 26 /XXVII (7) /2008, दिनांक 30 जनवरी, 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन</u> :— इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है जबकि दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 या इसके बाद इनकी नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई अशंदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुये अशंदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा करायी गई नई पेंशन योजना के अशंदान की धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी0पी0एफ0 खाते में जमा की जायेगी, जिस हेतु सम्बन्धित आहरण—वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) अपने यहां बनाये गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे सम्बन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गये अंशदान का सत्यापन प्रस्तर—5 के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी0पी0एफ0 की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से सम्बन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/ कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेगें, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अन्तिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी के नयी अंशदान पेंशन योजना संबन्धित अभिलेखो कि जांच के उपरांत पाया गया कि कार्यालय मे कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी नयी अंशदान पेंशन योजन के तहत अंशदान की कटौती नीचे लिखित तिथि से कर रहे है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	सीपीएस संख्या	NPS हेतु कटौती प्रारम्भ माह	आबंटित PRAN संख्या तथा टियर एक हेतु NPS हेतु कटौती प्रारम्भ	सीपीएस खाते अनुसार balance धनराशि
मनीषा पन्त	कनिष्ठ सहायक	07.09.07	HLD/CPSN-1	नवम्बर 2007	110010969002 Sep/2010	रु 1142/- प्रतिमाह
बीजेंदर लाल	स्वेछक	01.03.06	HLD/CPSN-5607	नवम्बर 2006	110080967415 Sep/2010	रु 69049/-
अक्षय कुमार	कनिष्ठ सहायक	03.07.09	NTL/CPSN-26	Sep, 2009	110031295121 June/2013	1,24,493/-
प्रियंका गड़िया	सेवायोजन अधिकारी	19.08.11	GPF No. 7	मई 2012	110081907936 Nov/2011	30,094/-
					योग	2,23,636/-

उक्त कर्मचारियो के संदर्भ मे कार्यालय स्तर पर बनाए जा रहे सीपीएस खाता की जांच मे पाया गया कि उक्त तिथियो से संबन्धित कर्मचारी नयी पेंशन योजना के तहत अपना अंशदान प्रतिमाह कटौती कारवा रहे थे जबकि संबन्धित कर्मचारियो को PRAN संख्या उक्त तालिका के अनुसार आवंटित हुये थे। संबन्धित कर्मचारी की सीपीएस पास बुक की जांच मे पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन मे जमा अंशदान धनराशि रु 2,23,636/- उक्त कर्मचारियो एवं अधिकारियों को आवंटित नयी पेंशन योजना के खातो मे जमा नही कि गयी। ओर न ही शासनादेश 643 के बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन मे संबन्धित कर्मचारी के जमा अंशदान को कोषागार को प्रेषित किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि अंशदान के सापेक्ष employer Share उनके उनके खातो मे जमा किया जा रहा था जबकि आवंटित PRAN खातो मे उनके Tier -1 खाते संबन्धित तिथियो से क्रियाशील होने के बावजूद भी कर्मचारियो के अंशदान पेंशन कटौती कि धनराशि को उनके खातो मे शून्य पाया गया अर्थात विगत अंशदान को tier -1 खातो मे जमा नही किया गया था।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये उत्तर मे बताया कि "जानकारी के अभाव मे उक्त कर्मचारियो / अधिकारियों के वेतन से काटी गयी एनपीएस के तहत धनराशियों को कोषागार को प्रेषित नही किया गया, भविष्य मे उचित कार्यवाही कर प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्योकि उपरोक्त शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारी को PRAN खाता आवंटित न होने के बाद भी अंशदान की कटौती की गयी तथा संबन्धित कर्मचारी के अंशदान की धनराशि रु 2,23,636/- विभागीय उदासिनता के कारण कोषागार को प्रेषित नही किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2:- धनराशि ₹ 325901 का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक प्रदान किया जाना।

छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद संशोधित वेतन ढ़ाचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धारण निम्न अनुसार किया जाएगा:-

“वेतन बैंड में वेतन अनुमन्य ग्रेड पे जोड़कर इसके 3 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा। इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वेतन में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड पे में वेतन प्रदान किया जाएगा”।

जांच में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत 02 कार्मिको श्री अक्षय कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं कु. मनीषा पंत, वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 पर हुई। आगे पाया गया कि पदोन्नत कर्मचारियो को अनुमन्य ग्रेड पे एवं मूल वेतन में 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि करने पर प्राप्त मूल वेतन को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित करने एवं अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड पे प्रदान करके आगणित किया परंतु आगणित वेतन 2800 ग्रेड पे के न्यूनतम वेतन (8560+2800=11360) से कम होने के कारण पदोन्नत हुए कर्मचारियो का वेतन 11360 पर fix कर दिया जो कि छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का उलंघन है। इस प्रकार पदोन्नत 02 कर्मचारियों को लेखा परीक्षा तिथि तक कुल रु. 286400 वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक प्रदान किया गया।

इसी प्रकार पाया गया कि श्री राजेश दुर्गपाल, अनुदेशक का 31 दिसम्बर को वेतन रु. 14230/- था परंतु उक्त कर्मचारी का सातवें वेतन आयोग का fixation रु. 14440/- पर किया गया। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 34026 का अधिक भुगतान किया गया।

इसी प्रकार यह पाया गया कि श्री गोविंद सिंह, अनुसेवक का 05/02/2011 को मूल वेतन 10350/- (8350+2000) था तथा उनको तृत्य एसीपी के अंतर्गत 2400 ग्रेड पे प्रदान किया गया जिसको बाद में 2800 ग्रेड पे में उच्चिकृत कर दिया गया। परंतु उच्चीकरण के समय उक्त कर्मचारी का वर्तन निर्धारण 8350+2000=10350 के स्थान पर 8380+2400=10780 पर किया गया जो कि गलत निर्धारण है। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 5475 का अधिक भुगतान किया गया।

इस प्रकार उक्त सभी कर्मचारियों को लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 325901 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि आगणन कर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

अत: प्रकरण पुन: समीक्षा हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

STAN

प्रस्तर 1:- धनराशि ₹ 3.16 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद उदेशयों की पूर्ति का न होना।

कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि धनराशि रु 3.16 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षायों कि कोचिंग प्रदान करने हेतु लेखाशीर्ष 2230-02-101-08 के अंतर्गत दिनांक 06.01.18 को प्राप्त हुयी जिसके सापेक्ष समस्त धनराशि का व्यय प्रतियोगी परीक्षाओ हेतु कक्षाए चलाने के संदर्भ मे किया गया। कार्यालय के अधीन शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र हल्द्वानी द्वारा सभी वर्ग के अभियार्थी हेतु एसएससी बैंकिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षायों कि तैयारी करने हेतु निशुल्क कोचिंग मेरिट के आधार पर चयनित 42 अभ्यर्थियो को प्रदान कि गयी। आगे जांच मे पाया गया कि प्रति छात्र रु 3250/- के आधार पर कोचिंग संस्थान the sixth sense education dehradun को रु 1.36 लाख का भुगतान किया गया जबकि पत्रांक 811-14/डीडीई /प्रति कोचिंग- सीसीजीसी /2017 दिनांक 5.12.17 के द्वारा कोचिंग संस्थान Institute of banking series का चयन सामान्य/ एससी /एसटी /ओबीसी एवं निशक्त जन के आधार पर किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए परंतु निर्धनता निर्धारण हेतु आय- प्रमाण पत्र छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई दिशानिर्देश उक्त आदेश मे जारी नही किए गए।

कार्यालय के अभिलेखीय जांच मे यह पाया गया कि छात्रों से आय प्रमाण पत्र मांग किए बिना ही 42 छात्रों का चयन मात्र सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी वर्गिकरण के आधार पर मेरिट के आधार पर किया गया जो कि स्पष्ट रूप से योजना के उदेशय कि पूर्ति को प्रभावित करता है।
लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरण पर इंगित किए जाने पर उत्तर मे बताया गया कि निदेशालय से प्राप्त दिशानिर्देशों मे निर्धन वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी स्पष्ट निर्देश जारी नही किए गए।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि इकाई के उत्तरा से यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का व्यय उदेशयों को प्रभावित करते हुये निर्धन छात्रों को निशुल्क कोचिंग प्रदान न कर सामान्य रूप से सभी वर्गो के छात्रों को कोचिंग बिना आय प्रमाण पत्र प्राप्त किए प्रदान कि गयी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2:- स्पष्ट शासकीय नीति के अभाव मे सेवायोजन अधिनियम का परिपालन सुनिश्चित नही कराये जाने का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा मे सेवायोजन के क्षेत्र मे तैनात सेवायोजन अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों एवं कर्तव्यो के संबंध मे एक मुख्य बिन्दु Employment Exchanges Compulsory Notification of Vacancies(CNV) Act 1959 का प्रकरण प्रकाश मे आया जिसके अंतर्गत सेवायोजन अधिकारी को अपने क्षेत्र अन्तर्गत समय समय पर तहसील स्तर के सेवायोजको के अभिलेखो का निरीक्षण करना तथा उन्हे CNV Act संबंधी धारायों से अवगत कराना था। एक्ट का वर्णित बिन्दु इस प्रकार पाया गया:-

“The employer is every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall furnish such information or return as may be prescribed in relation to vacancies that have occurred or are about to occur is that establishment to such employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall there upon comply with such requisition”

परंतु इस संबंध मे इकाई की कोई कार्य योजना समयबद्ध नयी पायी गयी जिसके अंतर्गत तहसील स्तर के सेवायोजको के अभिलेखो का निरीक्षण तथा अधिनियम से संबन्धित धाराओ से परिचित कराने का प्रावधान था। अधिनियम के परिपालन मे तहसील क्षेत्र मे कार्यरत निजी कम्पनी/ क्षेत्र मे स्रजित भर्तियों की नोटिफिकेशन की सूचना सेवायोजन कार्यालय द्वारा सेवायोजको से सुनिश्चित नही कराया जा रहा था। एक्ट के अनुपालन के लिए जनपद मे सेवानियोजन अधिकारी के लिए कम्पनी के अभिलेखो तक पहुचके लिए तथा सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत युवको को रोजगार का अवसर का लाभ प्रदान करने के लिए ऐसी कोई नियमावली तैयार नहीं पायी गयी जिसमे भर्ती नोटोफिकेशन की सूचना न देने वाले कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति संबन्धित अधिकारी को प्रदत्त थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि सरकारी क्षेत्र के तृतीय श्रेणी के पदो/ रिक्तियों के विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियो का सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकरण अनिवार्य किए जाने हेतु स्पष्ट निर्देश नही है। एक्ट के अनुसार नियोजक का निरीक्षण करने पर नियोजक के डिफ़ाल्टर पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त मैकानिज़म विकसित नही हुआ है।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया, जिस उदेशय के लिए कार्यालय का संचालन के लिए शासकीय व्यय हो रहा है, उसे पूरा किए जाने के लिए समन्वय किया जाना चाहिए था तथा डिफ़ाल्टर कम्पनी को चिन्हित कर शासन की जानकारी मे लाया जाना चाहिए था तथा एक्ट के अनुपालन हेतु मैकानिज़म विकसित करने के लिए विभागीय प्रयास की कमी पायी गयी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
प्रथम लेखा परीक्षा				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखा परीक्षा				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्रीमति अनुभा जैन	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	03.2012 से 03.08.2012 तक
श्रीमति प्रियंका गड़िया	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	04.08.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.